भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1107
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

निर्मल ग्राम पुरस्कार

1107. श्री शान्ता कुमारः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्मल गांव पुरस्कार योजना कब प्रारम्भ हुई और इस योजना के अंतर्गत पंचायतों को पुरस्कार देने के मानक क्या हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत देश में कितनी पंचायतों को पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है; और

(ग) इन पुरस्कृत गांवों में कितने शौचालय सुचारू रूप से काम में लाये जा रहे हैं?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) की शुरूआत अक्तूबर, 2003 में हुई थी तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में प्रदान किया गया था। एनजीपी के संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार, वही ग्राम पंचायतें, एनजीपी के लिए आवेदन करने की पात्र हैं, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:–

- जिस ग्राम पंचायत ने सभी बसावटों एवं ग्रामों सहित अपने संपूर्ण क्षेत्र में खुले में मल–त्याग को प्रतिबंधित करने का संकल्प किया है।
- ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी बसावटों के लिए पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी प्रयोजनों के लिए जल उपलब्ध हो।
- जिस ग्राम पंचायत ने निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत जिला परियोजना में यथा अनुमोदित सभी घटकों के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया हो तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्लूएस) के आईएमआईएस पर अपनी उपलब्धियों को दर्ज किया हो।

आवेदन प्राप्त होने पर, निम्नलिखित गतिविधियों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की जांच भी की जाती है:

- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) की कवरेज
- स्कूली स्वच्छता की कवरेज
- ऑगनवाड़ी स्वच्छता की कवरेज

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, पर्याप्त जल की उपलब्धता
- ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के तहत कार्यकलाप सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के तहत कार्यकलाप
- द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के तहत कार्यकलाप

(ख) एवं (ग) दिनांक 10.12.2013 की स्थिति के अनुसार, 28002 ग्राम पंचायतों (जीपीएस) को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एनजीपी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, निर्मल ग्राम पुरस्कार का प्रभावगत मूल्यांकन हेतु वर्ष 2010 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अंतर्गत 12 राज्यों की 664 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) सर्वेक्षण किए गए कुल परिवारों में से 19.1% परिवारों ने स्वच्छता संबंधी हर प्रकार की सुविधा की उपलब्धता के अभाव की सूचना दी।

(ii) सर्वेक्षण किए गए 67% परिवारों के सभी सदस्यों ने नियमित शौचालय के प्रयोग की सूचना दी।

(iii) 91% विद्यालयों एवं 71% ऑगनवाड़ियों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध थीं।

****